



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 11, बुधवार, शाके 1938-नवम्बर 2, 2016
Kartika 11, Wednesday, Saka 1938-November 2, 2016

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)
सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)
अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 2, 2016

जी.एस.आर. 56 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 258 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 258 में, विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“(3) पंचायत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से पंचायत कार्यालय के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए किसी व्यक्ति को अंशकालिक आधार पर या नियत मानदेय पर या संविदा आधार पर ग्राम पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त कर सकेगी। उसे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार से इस प्रयोजन के लिए प्राप्त अनुदान से या पंचायत की स्वयं की आय में से संदाय किया जायेगा।”

3. नियम 259 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 259 में, विद्यमान उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (8) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“(8) अंशकालिक आधार पर या नियत मानदेय पर या संविदा के आधार पर ग्राम पंचायत सहायक के पद के लिए चयन ग्राम सभा द्वारा ऐसी रीति से किया जा सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाये।”

[सं. एफ.4(7) अमे/रूल्स/लीगल/पी.आर./2014/812]

राज्यपाल के आदेश से,
ललित कुमार,
उप शासन सचिव।

**DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT
& PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT)
NOTIFICATION**

Jaipur, November 2, 2016

G.S.R. 56 .- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 258.-** In rule 258 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, after the existing sub-rule (2), the following new sub-rule (3) shall be added, namely:-

“(3) Panchayat may appoint any person as Gram Panchayat Sahayak, on part time or on fixed honorarium or on contract basis, for Panchayat Office or for any other work with prior permission of the Chief Executive Officer. He shall be paid from the grant received for the purpose from the State Government on recommendation of the State Finance Commission or out of own income of the Panchayhat.”

3. **Amendment of rule 259.-** In rule 259 of the said rules, after the existing sub-rule (7) following new sub-rule (8) shall be added, namely:-

"(8) Selection for the post of Gram Panchayat Sahayak on part time or on fixed honorarium or on contract basis shall be made by Gram Sabha in the manner as may be laid down by the State Government, from time to time."

[No.F.4(7)Am/Rule/Legal/PR/2014/ 812]

**By order of the Governor,
Lalit Kumar,
Deputy Secretary to the Government.**

Government Central Press, Jaipur.

